



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ.: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5914/2009

छत्तीसगढ़ पटवारी संघ

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य एवं (संबंधित रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5920/2009;
6436/2009; 6666/2009; 6667/2009 और 6668/2009)

आदेश

आदेश हेतु दिनांक 02.12.2010 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश



**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर****एकल पीठ.: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा****रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5914/2009**

याचिकाकर्ता : छत्तीसगढ़ पटवारी संघ, द्वारा अध्यक्ष, जिला शाखा दुर्ग, नाम अश्विनी कुमार वर्मा, पिता स्वर्गीय श्री चिंता राम वर्मा, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी वसुंधरा नगर, भिलाई-III, जिला दुर्ग (छ.ग.) ।

बनाम

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, राजस्व विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर छत्तीसगढ़।
2. संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर छत्तीसगढ़।
3. अपर आयुक्त, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
4. कलेक्टर दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5920/2009

याचिकाकर्ता : छत्तीसगढ़ पटवारी संघ, द्वारा अध्यक्ष, जिला शाखा रायगढ़, नाम रामनिवास पटेल, पिता श्री रामखिलावन पटेल, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी कोटरा रोड, रायगढ़ (छ.ग.)।

बनाम

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, राजस्व विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर छत्तीसगढ़।
2. संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर छत्तीसगढ़।
3. अपर आयुक्त, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
4. कलेक्टर रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)





रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6436/2009

याचिकाकर्ता : छत्तीसगढ़ पटवारी संघ, द्वारा अध्यक्ष, जिला शाखा कांकेर, नाम गुमान सिंह, पिता स्वर्गीय श्री बुधराम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी आदर्श नगर, कांकेर (छ.ग.) ।

बनाम

- उत्तरवादीगण
1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, राजस्व विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर छत्तीसगढ़।
 2. संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर छत्तीसगढ़।
 3. अपर आयुक्त, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
 4. कलेक्टर कांकेर, जिला कांकेर (छ.ग.)

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6666/2009

याचिकाकर्ता : छत्तीसगढ़ पटवारी संघ, द्वारा अध्यक्ष, जिला शाखा राजनांदगांव, नाम रामकुमार वर्मा, पिता श्री बाबूलाल वर्मा, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी हरिओम नगर वार्ड क्रमांक 8 डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) ।

बनाम

- उत्तरवादीगण
1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, राजस्व विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर छत्तीसगढ़।
 2. संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर छत्तीसगढ़।
 3. अपर आयुक्त, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
 4. कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, (छ.ग.)

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6667/2009

याचिकाकर्ता : छत्तीसगढ़ पटवारी संघ, द्वारा अध्यक्ष, जिला शाखा बस्तर, नाम प्रेज प्रकाश पांडे, पिता हरीश चंद्र पांडे, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी शिव मंदिर वार्ड जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

बनाम





उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, राजस्व विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर छत्तीसगढ़।
2. संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर छत्तीसगढ़।
3. अपर आयुक्त, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
4. कलेक्टर बस्तर, जिला बस्तर (छ.ग.)

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6668/2009

याचिकाकर्ता

: छत्तीसगढ़ पटवारी संघ, द्वारा अध्यक्ष, जिला शाखा रायपुर, नाम दुष्यंत कोसले, पिता श्री चैतूराम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी तिहुपारा सिमगा, जिला रायपुर (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, राजस्व विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर छत्तीसगढ़।
2. संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर छत्तीसगढ़।
3. अपर आयुक्त, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
4. कलेक्टर रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिकाएँ

उपस्थिति:

याचिकाकर्तागण की ओर से श्री टी.के. तिवारी अधिवक्ता।

राज्य/उत्तरवादीगण की ओर से श्री वाई.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता।

आदेश

(2.12.2010)

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा,

(1) ये रिट याचिकाएँ दिनांक 8.9.2009 के परिपत्र (अनुलग्नक-पी/2) और दिनांक 17.9.2009 के पत्र (अनुलग्नक-पी/3) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई हैं।





(2) राज्य द्वारा राज्यपाल के नाम से जिला कलेक्टरों को दिनांक 8.9.2009 का परिपत्र जारी किया गया है और पटवारियों के स्थानांतरण के संबंध में कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन के अवर सचिव द्वारा प्रांताध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पटवारी संघ, रायपुर को दिनांक 17.9.2009 का पत्र भेजा गया है, जिसके द्वारा उनके दिनांक 14.9.2009 के पत्र का उत्तर दिया गया है।

(3) आक्षेपित दस्तावेजों की विषय-वस्तु निम्न प्रकार है:-

अनुलग्नक-पी/2

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण भवन, रायपुर

कमांक-एफ-1-1651/2009/सात-1

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2009



विषय:-पटवारियों का स्थानांतरण ।

-00-

राज्य शासन एतद् द्वारा जिलों में एक ही तहसील में लगातार पांच वर्षों से पदस्थ पटवारियों को स्थानांतरण करने हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत करता है और निर्देशित करता है कि यह स्थानांतरण अन्य तहसील में हो और इस बात का ध्यान रखा जाय कि; जो पटवारी नगरीय क्षेत्रों में पदस्थ हैं, वे न्यूनतम 20 किलोमीटर दूर अवश्य स्थानांतरित हों । पटवारियों को गृह हल्के और उस हल्के में पदस्थ नहीं किया जाए जिसमें वे पहले कभी पदस्थ रह चुके हों ।

2/ यह कार्यवाही पूर्ण कर एक माह में पालन प्रतिवेदन दें ।

3/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस वर्ष हेतु घोषित स्थानांतरण नीति पत्र कमांक-एफ-1-1/2009/1-6 दिनांक 09.06.2009 के बिन्दु/निर्देश क्रमांक 15 के तहत उक्त स्थानांतरणों का अनुमोदन समन्वय में प्राप्त कर लिया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार



(आर.डी. दीवान)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्र0 कामांक:- एफ-1-165/2009/सत्-1

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर

2009

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ कृपया अपने स्तर पर पर्यवेक्षण कर आदेश का पालन कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग



अनुलग्नक-पी/3

"छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण भवन, रायपुर

कमांक-एफ-1-165/सात-1/2009

रायपुर, दिनांक 17/09/2009

प्रति,

श्री ठाकुर कमलेश सिंह
प्रांताध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ पटवारी संघ, रायपुर
श्यामा प्रसाद मुखर्जीनगर, सिकोलाभाठा, दुर्ग,
छत्तीसगढ़

विषय:-पटवारियों के स्थानांतरण विषयक।

संदर्भ:- आपका पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2009



विषयान्तर्गत विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 2-42/सात-1/2006 दिनांक 27 अगस्त, 2009 द्वारा पटवारियों के स्थानांतरण के संबंध में जारी निर्देश के अनुक्रम में प्रस्तुत ज्ञापन के संदर्भ में जानकारी निम्नानुसार है :-

1/छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 1-1/2009/1-6 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2009-10 की कंडिका 8 के अनुसार जिला स्तरीय संवर्ग के कर्मचारियों के स्थानांतरण कंडिका 9 एवं कंडिका 12 के मापदण्डों के तहत प्रतिबंध अवधि में समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन प्राप्त कर स्थानांतरण किये जाने के निर्देश हैं। उपरोक्त स्थानांतरण नीति के मार्गदर्शी सिद्धान्तों /मापदण्डों के आधार पर ही पटवारियों के स्थानांतरण प्रशासनिक दृष्टि से किये जाने हेतु समस्त कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है।

2/ पटवारियों की वरिष्ठता जिलेवार संधारित रहती है। जिले के अंदर उप-संभाग के एक हल्के से दूसरे हल्के में तथा एक उप-संभाग से दूसरे उप-संभाग की एक तहसील से दूसरी तहसील में पटवारियों की पदस्थापनाएं की जाती है। इससे उनके बच्चों एवं पारिवारिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3/ भू-अभिलेख नियमावली के प्रावधानों के तहत ही पटवारियों के स्थानांतरण हेतु संबंधित जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है। उन पटवारियों को ही स्थानांतरित किया जा रहा है, जो एक स्थान पर 05 वर्षों अधिक अवधि से पदस्थ है।

4/ चूंकि जिले के अंदर एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरण किया जाना है। अतएव अतिरिक्त व्यय नाममात्र होगा।

5/ पटवारियों के कार्यालयीन एवं यात्रा भत्ता के संबंध में विभागीय ज्ञापन क्रमांक 2593/बजट/08 दिनांक 28.4.2008 द्वारा समस्त कलेक्टरों का बजट आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है।

6/ स्नातक पटवारियों को नायब तहसीलदार के रिक्त पद पर सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन की कार्यवाही प्रचलित है।

(आर.डी. दीवान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ०क्रमांक-एफ 1-165/सात-1/2009

रायपुर, दिनांक 17/09/2009

प्रतिलिपि:- राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर छत्तीसगढ़

2/ प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर



- 3/ विशेष सहायक माननीय मंत्री जी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
- 4/ मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, डी. के.एस. भवन मंत्रालय रायपुर
- 5/ प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय रायपुर
- 6/ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर
- 7/ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन संपर्क विभाग मंत्रालय रायपुर की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त ज्ञापन का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्र में कराए जाने का कष्ट करें।
- 8/ समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
- 9/ आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ रायपुर
- 10/ समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग"

(4) याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री टी.के. तिवारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि राज्य शासन के पास पटवारियों के स्थानांतरण के संबंध में जिला कलेक्टरों को ऐसा निर्देश जारी करने का कोई अधिकार या क्षेत्राधिकार नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश भूमि अभिलेख नियमावली में निहित नियम 7 का संदर्भ दिया और तर्क दिया कि उक्त नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जैसा कि उपरोक्त परिपत्र/पत्र में निहित है, इसलिए उपरोक्त पत्र के माध्यम से जारी निर्देश क्षेत्राधिकार के बाहर थे। उन्होंने मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़) भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 104 के प्रावधानों का भी संदर्भ दिया और तर्क दिया कि ऐसे प्रावधानों के तहत भी राज्य को ऐसे निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है, इसलिए उपरोक्त ज्ञापनों में निहित निर्देश विधि के विपरीत हैं। उन्होंने **पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड बनाम रणजोध सिंह एवं अन्य, 2007 (15) एससीजेडी 626 (एससी)** के निर्णय का संदर्भ दिया।

(5) इसके विपरीत, श्री वाई.एस. ठाकुर, राज्य/प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान उप-महाधिवक्ता ने इन तर्कों का विरोध किया और परिपत्र/पत्र की विषयवस्तु का समर्थन किया। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि उपरोक्त निर्देश राज्य द्वारा कार्यकारी निर्देश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत जारी किए गए हैं। जब तक ये निर्देश किसी विधि, वैधानिक या गैर-वैधानिक नियमों या संविधान के विपरीत न हों, इन्हें अवैधानिक नहीं माना जा सकता।



(6) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और रिट याचिकाओं के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(7) संविधान के अनुच्छेद 154(1) में प्रावधान है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह संविधान के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करेगा। इस शक्ति में वे कार्य शामिल हैं जो राज्य के सामान्य प्रशासन के लिए आवश्यक हैं। राज्य कार्यपालिका की शक्तियाँ राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों के साथ-साथ व्यापक हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति विधानों पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए, यदि विधानमंडल को भी किसी विशेष विषय पर संविधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, तो

शासन द्वारा की गई कार्यपालिका कार्यवाही केवल इस आधार पर अवैधानिक नहीं होगी कि ऐसी कार्यवाही का समर्थन करने के लिए कोई संविधि नहीं है।

(8) संविधान का अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा को परिभाषित करता है। यह प्रावधान करता है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति उन विषयों तक विस्तारित होगी जिनके संबंध में राज्य विधानमंडल को संविधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके दोहरे प्रभाव हैं, पहला, यह राज्य के क्षेत्राधिकार को केवल उन्हीं क्षेत्रों में कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग तक सीमित करता है जिन पर राज्य विधानमंडल को संविधि बनाने का अधिकार प्राप्त है; और दूसरा, राज्य में निहित ऐसी शक्तियाँ संविधान के उपबंधों के अधीन होनी चाहिए, अर्थात्, संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन करने वाली शक्तियों का प्रयोग अनुमेय नहीं होगा और उसे शक्तिहीन माना जाएगा। अतः यह स्पष्ट है कि यदि कोई वैधानिक नियम है, तो कार्यपालिका अनुच्छेद 162 के अधीन कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते समय उस नियम की अनदेखी या उसके विपरीत कार्य नहीं कर सकती। हालाँकि, कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत राज्य अपने सेवक को कुछ परिस्थितियों में कार्य करने के लिए प्रशासनिक निर्देश दे सकता है और इसमें संविधान के उद्देश्यों और सांविधिक तथा गैर-सांविधिक नियमों को लागू करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियाँ शामिल हैं। जब तक शासन के कार्यकारी निर्देश नियमों या संविधान के विपरीत नहीं हैं, या नागरिक के अधिकारों के प्रतिकूल नहीं हैं, तब तक राज्य द्वारा जारी किए गए ऐसे निर्देशों को क्षेत्राधिकार से बाहर या लागू संविधि के विपरीत नहीं माना जा सकता है।

(9) वर्तमान मामलों में, राज्यपाल के नाम से राज्य शासन द्वारा परिपत्र दिनांक 8.9.2009 (अनुलग्नक-पी/2) जारी किया गया है और जिला कलेक्टरों को कुछ परिस्थितियों में पटवारियों को स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत किया गया है। म.प्र. भूमि अभिलेख नियमावली में निहित नियम 7 में प्रावधान है कि पटवारियों को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एक ही उप-विभाग में एक सर्कल से दूसरे सर्कल में स्थानांतरित किया जा सकता है और यदि उन्हें एक उप-विभाग से दूसरे उप-विभाग में स्थानांतरित किया



जाना है तो यह जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। आक्षेपित परिपत्र में, राज्य ने जिला कलेक्टर को एक ही जिले में विभिन्न तहसीलों में पटवारियों को स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत किया है और आगे निर्देश जारी किए गए हैं कि शहरी क्षेत्र में पदस्थ पटवारियों को उसी दूरस्थ क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकता है जो शहरी क्षेत्र से 20 किलोमीटर से कम नहीं हो सकता है। पटवारियों के स्थानांतरण के संबंध में राज्य द्वारा जारी किए गए कोई भी निर्देश भूमि अभिलेख नियमावली में निहित नियम 7 के प्रावधानों के विपरीत नहीं हैं। तिवारी ने तर्क प्रस्तुत किया है कि चूंकि नियम 7 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उपरोक्त निर्देश क्षेत्राधिकार के बाहर हैं। तर्क अनुचित प्रतीत होता है। हम पहले ही कह चुके हैं कि राज्य के पास ऐसे निर्देश जारी करने की पर्याप्त शक्ति है जो विधि या नियमों के विपरीत नहीं हैं और यह आवश्यक नहीं है कि निर्देश केवल नियमों के विषय या प्रावधानों पर ही हो। यदि किसी विशेष मामले पर नियमों में पहले से ही प्रावधान हैं, तो राज्य को कार्यकारी निर्देश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उस स्थिति में नियम के प्रावधान प्रबल होंगे और संभवतः निर्देश जारी करने का कोई अवसर नहीं आएगा। मध्य प्रदेश (छग) भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 104 पटवारी हलकों के गठन और उनमें पटवारियों की नियुक्ति से संबंधित है। धारा 104 की उपधारा (1) में प्रावधान है कि कलेक्टर समय-समय पर तहसील के गांवों को पटवारी हलकों में व्यवस्थित करेगा और किसी भी समय किसी उपलब्ध हलकों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है और नए हलकों का निर्माण कर सकता है या मौजूदा हलकों को समाप्त कर सकता है। उप-धारा (2) में आगे प्रावधान है कि कलेक्टर भूमि अभिलेखों के रखरखाव और सुधार के लिए और राज्य शासन द्वारा निर्धारित अन्य कर्तव्यों के लिए प्रत्येक पटवारी सर्कल में एक या एक से अधिक पटवारियों की नियुक्ति करेगा। भूमि राजस्व संहिता की धारा 104 और भूमि अभिलेख मैनुअल में निहित नियम 7 के संयुक्त पढ़ने से पता चलता है कि कलेक्टर पटवारियों के पद के लिए नियुक्ति प्राधिकारी है और कलेक्टर को गांवों और पटवारी सर्कल की व्यवस्था करने और आगे पटवारियों को एक पटवारी सर्कल से दूसरे पटवारी सर्कल में स्थानांतरित करने की शक्ति दी गई है यदि उनका स्थानांतरण जिले में एक उप-विभाजन से दूसरे उप-विभाजन में होता है, और साथ ही उप-विभागीय अधिकारी को उप-विभाजन के भीतर पटवारी को स्थानांतरित करने की शक्ति दी गई है। चूंकि आक्षेपित परिपत्र द्वारा कलेक्टर को पटवारियों को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं और कुछ निर्देश जारी किए गए हैं जो किसी भी तरह से नियम या भूमि राजस्व संहिता या संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आक्षेपित परिपत्र क्षेत्राधिकार के बाहर हैं या उनमें निहित निर्देश विधि के विपरीत हैं।

(10) **पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड बनाम रणजोध सिंह एवं अन्य** (पूर्वोक्त) मामले में अपीलार्थी मंडल एक स्थानीय प्राधिकरण था। यह नगर पालिकाओं, नगर निगमों और सुधार ट्रस्टों के लिए सीवरेज लाइनें बिछाने, जलापूर्ति आदि सहित विभिन्न प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य करता था। प्रतिवादियों को उक्त मंडल द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था। उनकी सेवाएं



समाप्त कर दी गई। प्रतिवादियों ने सेवाओं के नियमितीकरण के लिए प्रार्थना की। पंजाब राज्य द्वारा दिनांक 23.1.2001 और 28.3.2003 को नियमितीकरण के लिए तैयार की गई योजना के संदर्भ में अपीलार्थी मंडल ने उक्त प्रार्थना को खारिज कर दिया। इसके बाद प्रतिवादियों ने परमादेश के रूप में एक रिट याचिका प्रस्तुत की जिसमें अपीलार्थी बोर्ड सहित प्रतिवादियों को उनकी सेवाओं के नियमितीकरण की उक्त योजना को लागू करने का निर्देश दिया गया और उनकी ओर से की गई ऐसी प्रार्थना को खारिज करने वाले आदेशों को अपास्त कर दिया गया। अपीलार्थी को अपनी सेवाएं नियमित करने का भी निर्देश दिया गया। अपील में, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर दिया और निर्णय के कंडिका-10 के अनुसार यह अभिनिर्धारित किया कि:

"एक वैधानिक मंडल एक स्वायत्त निकाय है। हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जिससे यह पता चले कि इस संविधि के तहत राज्य द्वारा जारी कोई भी निर्देश उस पर बाध्यकारी होगा। स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में राज्य का कुछ नियंत्रण हो सकता है, लेकिन राज्य द्वारा इस नियंत्रण का प्रयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए। वैधानिक निकाय वैधानिक नियमों के तहत निर्धारित भर्ती नियमों को लागू करने के लिए बाध्य हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में 'राज्य' होने के नाते, वे समानता की संवैधानिक योजना को लागू करने के लिए बाध्य हैं। न तो वैधानिक निकाय ऐसे संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने से इनकार कर सकते हैं, न ही राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत उल्लिखित संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत या असंगत कोई निर्देश जारी कर सकता है। राज्य के कथित निर्देश अन्यथा विधि की दृष्टि से गलत थे क्योंकि उनके द्वारा वैधानिक नियमों को इसके अलावा, परिपत्र पत्र एक वैधानिक साधन नहीं है। इसे राज्य द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी भी नहीं किया गया था। यहाँ तक कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत जारी की गई कोई योजना भी वैधानिक नियमों पर प्रभावी नहीं होगी।"

इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 162 के अंतर्गत जारी कोई भी निर्देश या योजना, वैधानिक नियमों पर कभी भी प्रभावी नहीं होगी। वर्तमान मामले में, आक्षेपित परिपत्र में जारी कोई भी निर्देश नियम के किसी भी प्रावधान से संबंधित नहीं है, और निर्देश केवल उस विवाद्यक पर है जिस पर भू-राजस्व संहिता के नियम या प्रावधान पूरी तरह से मौन हैं। इसलिए, *पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड* का उपरोक्त निर्णय विशिष्ट है और याचिकाकर्तागण के लिए किसी भी प्रकार से सहायक नहीं है।



(11) चूँकि यह पहले ही अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि राज्य के पास संविधान के अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्य के कामकाज और प्रशासन के संचालन हेतु कार्यकारी निर्देश जारी करने की पर्याप्त शक्ति है, और जब तक ये निर्देश किसी संविधि या विधि के विरुद्ध नहीं हैं और संविधान के अंतर्गत विधि निर्माण के राज्य के अधीन क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर हैं, तब तक इन्हें क्षेत्राधिकार से बाहर या विधि के प्राधिकार से बाहर नहीं कहा जा सकता। वर्तमान मामलों में, हमें संविधान के अनुच्छेद 162, या किसी अन्य अधिनियम या वैधानिक या गैर-वैधानिक नियमों का कोई उल्लंघन नहीं मिलता है। इसलिए, मुझे आक्षेपित परिपत्र और पत्र (अनुलग्नक-पी/2 और पी/3) को रद्द करने का कोई आधार नहीं मिलता।

(12) याचिकाएँ गुण-दोष से रहित हैं। ये खारिज किए जाने योग्य हैं और एतद्वारा खारिज की जाती हैं।

(13) वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।

सही/-

आर.एन. चंद्राकर

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by ----

Vijay Kumar Sahu, Advocate